

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन :-

निर्वाचन पर नियंत्रण रखने एवं निर्वाचन के संचालन के लिये एक शिकायत निवारण सेल का गठन निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व से किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण/विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षक इस प्रकोष्ठ के चेयरमेन होंगे। इसके अतिरिक्त एक वरिष्ठ संकाय सदस्य एक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तथा दो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी एक छात्र एवं एक छात्रा (जब तक कि परिणाम घोषित न कर दिये जायें) को मेरिट के आधार पर अथवा पिछले वर्ष पाठ्येत्तर गतिविधियों में भागीदारी को देखते हुए नामांकित किया जायेगा। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ निर्वाचन से संबंधित शिकायतों का निवारण करेगा। लेकिन यह निर्वाचन से संबंधित आचार संहिता के उल्लंघन तथा निर्वाचन से संबंधित व्यय की शिकायतों तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह प्रकोष्ठ संस्था की एक नियमित इकाई रहेगा।

2- अपने कर्तव्यों के साथ शिकायत प्रकोष्ठ, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों की शिकायत तथा प्रकोष्ठ के द्वारा दिये गये आदेशों के उल्लंघन संबंधी मामले भी देखेगा। यह प्रकोष्ठ कोर्ट आफ ओरिजनल ज्यूरिश्डिक्शन के समान कार्य करेगा।

3- अपने कर्तव्यों के पालन में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ कार्यवाही विवरण तैयार करेगा एवं आवश्यकतानुसार सुनवाई करेगा। ऐसा कार्य करते समय उसके पास निम्नानुसार प्राधिकार होंगे।

(i) प्रत्याशियों को समक्ष में उपस्थित होने हेतु न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत उनके अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को बाध्य करने हेतु रिट जारी करने तथा विद्यार्थियों को समक्ष में प्रस्तुत होने, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, तथा आवश्यक अभिलेख जमा करने हेतु आदेश करना तथा

(ii) किसी भी प्रत्याशी के वित्तीय रिपोर्ट की निगरानी करना तथा ऐसे रिकार्ड को प्रार्थना प्राप्त होने पर महाविद्यालय के छात्रों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना।

4- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के सदस्य स्वयं शिकायत दर्ज करने से प्रतिबंधित रहेंगे। निर्वाचन परिणामों की तिथि से तीन सप्ताह तक की अवधि में कोई भी विद्यार्थी शिकायत दर्ज करा सकेगा। प्रत्येक शिकायत संबंधित महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के नाम से दर्ज होनी चाहिये। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ शिकायत प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर इस पर कार्यवाही करेगा और प्राथमिक जाँच के पश्चात वे या तो अमान्य कर दी जायेगी या उन पर सुनवाई की जायेगी।

5- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ किसी शिकायत को रद्द कर सकेगा यदि,

(i) यदि शिकायत अनुशंसा उपरोक्त कंडिका 4 में निर्दिष्ट समय सीमा में नहीं की गई हो।

(ii) यदि शिकायत में किसी कारण का उल्लेख न हो तथा चाही गई रिलीफ का उल्लेख न हो।

(iii) शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की इन्जुरी या डेमेज न हो।

6- यदि शिकायत को रद्द न किया गया हो तो सुनवाई अवश्य होनी चाहिये। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ लिखित रूप में या ई-मेल से

शिकायतकर्ता/व्यक्तियों या समूहों जिनका नाम सुनवाई के समय तथा स्थान पर लिया गया है को सूचित करेगा। संबंधित पक्षों को सूचित होना तभी माना जावेगा जब उन्हें शिकायत की प्रति प्राप्त हो गयी हो।

7— जब सुनवाई हेतु सूचना जारी की जाये, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बहुमत से एक अस्थायी आदेश भी जारी कर करेगा, ऐसा आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक सुनवाई के बाद शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का अंतिम निर्णय घोषित न कर दिया गया हो। या उसे शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा निरस्त न कर दिया गया हो।

8— शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की सुनवाई, कार्यवाही तथा बैठके महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये खुली होगी।

9— शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की सुनवाई के दौरान समस्त पक्ष उपस्थित रहेंगे तथा वे अपने साथ ऐसे विद्यार्थियों को भी रख सकेंगे, जिनसे वे सलाह प्राप्त करना चाहेंगे और पक्षकार का प्रतिनिधित्व भी कर सकेंगे।

10— किसी भी सुनवाई के लिये बहुमत सदस्यों की उपस्थिति अध्यक्ष के साथ होनी चाहिये अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित, प्रकोष्ठ का सदस्य अध्यक्षता कर सकेगा।

11— प्रकोष्ठ सुनवाई के लिये पद्धति तय करेगा, परन्तु यह देखेगा कि दोनों ही पक्ष कम्पलेनेन्ट एवं रेस्पाडेन्ट भौतिक रूप से प्रकोष्ठ के समक्ष उपस्थित हों ताकि सवाल जबाब, रिज्वाइंडर आदि की प्रक्रिया सम्पन्न हो सके। सुनवाई का आशय यह है कि निर्णय पर पहुंचने आदेश देने या निर्णय देने के पूर्व आवश्यक सूचना एकत्रित की जा सके, ताकि निर्वाचन के विवादों का निपटारा हो सके। इस हेतु प्रत्येक सुनवाई में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाये:—

- (i) शिकायतकर्ता दल दो गवाह ला सकेंगे किन्तु प्रकोष्ठ जैसा उचित समझे गवाह बुलवा सकेगा। यदि ऐसे गवाह सुनवाई के समय उपस्थित नहीं होते हैं तो लिखित शपथपत्र प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) समस्त प्रश्न तथा विचार विमर्श प्रकोष्ठ को ही संबोधित होंगे। आपस में शिकायतकर्ता के द्वारा सीधे संवाद नहीं होगा।

12— शिकायत निवारण प्रकोष्ठ दोनों पक्षों को उपयुक्त तथा समान व्यवहार की दृष्टि से उपयुक्त समय सीमा तय करेगा।

13— शिकायतकर्ता दल पर साक्ष्य सिद्ध करने की जिम्मेदारी होगी।

14— प्रकोष्ठ के द्वारा लिये गये निर्णय जारी आदेश और रूलिंग बहुमत के आधार पर होंगे तथा सुनवाई में तत्काल बाद सूचित/घोषित कर दिये जावेंगे। निर्णय के 12 घंटों के अंदर प्रकोष्ठ निर्णय को लिखित में सूचित करेगा। लिखित वक्तव्य में तथ्यों को उदघाटित किया जावेगा तथा उसके पक्ष में निर्णय लेने हेतु नियमों कानून का उल्लेख किया जावेगा। लिखित ओपिनियन तीन वर्षों की समयसीमा के लिये उदाहरण होगा, जो प्रकोष्ठ की कार्यवाहियों को मार्गदर्शन करेगा। पूर्व में दिये गये लिखित ओपिनियन को दृष्टिगत रखते हुए प्रकोष्ठ किसी निर्णय को अमान्य कर सकेगा, किन्तु ऐसा करने में कारण लिखित में दर्ज करने होंगे।

शिकायतों की अपील

15. समिति के आदेश के विरुद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य के समक्ष अपील करने का अधिकार दिया गया है, प्राचार्य के द्वारा अपील का निराकरण किया जावेगा:—
16. संस्था प्रमुख, प्रकोष्ठ के आदेश के विरुद्ध प्राप्त अपील पर, जल्दी से जल्दी सुनवाई करेगा (किन्तु 24 घंटे के अन्दर नहीं जब तक कि प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता तथा संस्था प्रमुख को प्रकरण के संबंध में लिखित अभिमत नहीं दे देता) इस समय अवधि से पूर्व भी अपील पर सुनवाई हो सकती है किन्तु तभी, यदि शिकायतकर्ता लिखित में इस हेतु समयसीमा घटाने का निवेदन करें तथा संस्था प्रमुख इसे कारण दर्शाते हुए मान्य करते हुए सहमति प्रदान करें।
- 17 संस्था प्रमुख प्रकोष्ठ द्वारा जारी रूलिंग को निरस्त करने या रोकने हेतु उपयुक्त आदेश जारी कर सकेगा, जब तक कि अपील पर निर्णय न हो जाए।
- 18 संस्था प्रमुख प्रकोष्ठ के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकेगा, जब उसके समक्ष अपील की जाए संस्था प्रमुख प्रकोष्ठ द्वारा लिए गए निर्णय को मान्य या अमान्य या संशोधित कर सकेगा।
